

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2025/151368/BAN/BANDA/475/CFO

दिनांक : 02-04-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स SAINT GEORGES SCHOOL पत्ता 1012 AVAS VIKAS, CHILLA ROAD, BANDA तहसील - BANDA प्लाट एरिया 14082.0 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 3373.59 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ACADMIC BLOCK	2	0	7.83 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स SAINT GEORGES SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 27-04-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ALBERT RUSKIN, PRINCIPAL Ph- 9839161350 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 30-04-2025 से 29-04-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स SAINT GEORGES SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स SAINT GEORGES SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : fso बॉटा द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण दिनांक 27/04/2025 संस्तुति आख्या जो G+1 तल तक निर्मित शैक्षणिक भवन के स्वामी/ प्रबंधक द्वारा NBC मानकों एवं upfire & Emrgncy services Act 2022 का अनुपालन करना होगा को निम्न उपबंध के अधीन final NOC निर्गत किया जा रहा है 1. अर्ह अभिकर्ता से बर्ष में जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाणपत्र विभाग को प्रेषित करे 2. फायर उपकरणों की वार्षिक AMC / मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाये 3. विधुत सुरक्षा निदेशालय का विधुत सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा 4. भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा। शर्तों का उल्लंघन करने / नवीनीकरण न कराने fso अकार्यशील होने पर यह noc स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Mukesh Kumar

85DF6BE0BEC05EC150FCC5B7FD591D0AD712110A

30-04-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 30-04-2025
स्थान : BANDA

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.